संख्या- 48 /2024 / 238 /चार-2024-1783046

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 20 जनवरी, 2024

विषय:- वृन्दावन शोध संस्थान (मथुरा) के भवन के जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण आदि कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3972/सं0नि0-6(120)/2016-17 दिनांक 11 जनवरी, 2024 के संबंध में अवगत कराना है कि वृन्दावन शोध संस्थान (मथुरा) के भवन के जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण आदि कार्यों हेतु शासनादेश संख्या- 20/2022/2391/चार-2021 दिनांक 22 जनवरी, 2022 द्वारा रू0 498.38 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अद्यतन रू0 470.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत रू0 492.78 लाख है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वृन्दावन शोध संस्थान (मथुरा) के भवन के जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण आदि कार्यों हेतु 6 प्रतिशत अतिरिक्त जी0एस0टी0 सहित अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के प्रस्ताव के क्रम में वृन्दावन शोध संस्थान (मथुरा) के भवन के जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण आदि कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रश्नगत परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 27.25 लाख (रूपये सत्ताइस लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या-167/2019/2290/चार-2019 दिनांक 13 दिसम्बर, 2019, शासनादेश संख्या-130/2020/1343(1)/चार-2020 दिनांक 10 अक्टूबर, 2020, शासनादेश संख्या-62/2021/661/चार-2021 दिनांक 17 मार्च, 2021, शासनादेश संख्या-138/2021/1461/चार-2021 दिनांक 25 अगस्त, 2021, शासनादेश संख्या-20/2022/2391/चार-2021 दिनांक 25 जनवरी, 2022, शासनादेश संख्या-23/2022/2391/चार-2021 दिनांक 28 जनवरी, 2022, शासनादेश संख्या-84/2022/349/चार-2022 दिनांक 27 मार्च, 2022 एवं शासनादेश संख्या-170/2022/1791/चार-2022 दिनांक 30 अगस्त, 2022 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

3. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय -04-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन के भवन का जीर्णोद्धार-24-वृहत निर्माण कार्य मद मद के नामे डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधिनित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या - 48 / 2024 / 238 (1) /चार-2024-1783046 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वृन्दावन शोध संस्थान (मथुरा)।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, जी-4/5 बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, 155, जयराम बाग, दयालबाग, आगरा।
9. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।